रामस्वरूप बनाम हनुमान

नाम न्यायालय नायब तहसीलदार (फाइलेन) [illegible]

केस संख्या 242/2013

दावा

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	25/9/19	वकील वादी उप०। तहसीलदार मोदनाबाद ने जवाब नहीं देना जाहिर किया। पत्रावली वास्ते बहस दि० 30/9/19 को पेश हो।	
	30/9/19	वकील वादी व पैरो० सरकार उप०। वकील वादी व पैरो० सरकार ने बहस करना जाहिर किया। वकील वादी व पैरो० सरकार की बहस सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश दि० 9/10/19 को पेश हो।	

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) दूदू जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी– श्री राजेन्द्र सिंह शेखावत, आर.ए.एस.

राजस्व वाद–पत्र संख्या : 88/2006 पुनः दर्ज 242/2013

वाद दायरी दिनांक : 10/07/2006 व दिनांक 06/09/2013

निर्णय दिनांक : 14/10/2019

1. रामेश्वर प्रसाद उम्र 52 साल पुत्र श्री लक्ष्मण जाति माली निवासी बिचून तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर राज0।
2. हीरालाल पुत्र श्री लक्ष्मण उम्र 45 साल जाति माली निवासी बिचुन तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर राज0।
3. बनवारीलाल पुत्र श्री लक्ष्मण उम्र बालिग जाति माली निवासी बिचुन तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर राज0।
4. सत्यनारायण पुत्र भंवरलाल उम्र बालिग जाति माली निवासी बिचुन तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर राज0।
5. शांतिदेवी पत्नि भंवरलाल उम्र बालिग जाति माली निवासी बिचुन तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर राज0।

—— वादीगण

बनाम

1. हनुमान पुत्र नारायण मृतक

1/1 श्रीमति गुलाबदेवी पत्नि स्व0 हनुमान मीणा उम्र 70 साल जाति मीणा निवासी बिचुन तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर राज0।

1/2 मृतक धन्नालाल पुत्र श्री हनुमान जाति मीणा निवासी बिचुन तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर राज0।

1/2/1 श्रीमति केशरदेवी पत्नि स्व0 छनालाल जाति मीणा उम्र 52 साल निवासी बिचुन तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर राज0।

1/2/2 अशोक कुमार पुत्र छनालाल जाति मीणा निवासी बिचुन तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर राज0।

1/2/3 महिपाल पुत्र स्व0 छन्नालाल उम्र 19 साली जाति मीणा निवासी बिचुन तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर राज0।

1/2/4 श्रीमति विमलादेवी पुत्री स्व0 छन्नालाल मीणा पत्नि

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) दूदू

Scanned by CamScanner

रामलाल जाति मीणा निवासी ढाणी बोराज

1/2/5 श्रीमति सुनिता देवी पुत्र स्व0 छन्नालाल पत्नि हीरालाल जाति मीणा निवासी ढाणी बोराज जिला जयपुर राज0।

1/2/6 श्रीमति ममतादेवी पुत्री स्व0 छन्नालाल पत्नि मालीराम उम्र 22 साल निवासी राडावास तहसील चौमू जिला जयपुर राज0।

1/3 बाबूलाल मीणा पुत्र स्व0 हनुमान मीणा उम्र 51 साल जाति मीणा निवासी बिचून तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर राज0।

1/4 पूरणमल पुत्र हनुमान उम्र 41 साल जाति मीणा निवासी बिचून तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर राज0।

1/5 राजेन्द्रप्रसाद पुत्र स्व0 हनुमान मीणा उम्र 38 साल निवासी बिचुन तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर राज0।

1/6 श्रीमति नारंगीदेवी पुत्री हनुमान पत्नि कल्याणमल मीणा जाति मीणा निवासी बिचुन तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर राज0।

1/7 श्रीमति कमलादेवी पुत्री हनुमान पत्नि ओमप्रकाश जाति मीणा निवासी पचेवर तहसील मालपुरा जिला टोंक राज0।

1/8 श्रीमति प्रेमदेवी पुत्री हनुमान पत्नि कल्याण जाति मीणा निवासी तुंगा लवाण कैरिया की ढाणी तहसील बस्सी जिला जयपुर राज0।

2. तहसीलदार तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर राज0।
3. परमार छितू भाई पुत्र भीखा भाई, जाति भील, निवासी कुरली, तहसील भरूच, गुजरात।

—— प्रतिवादीगण

वाद घोषणात्मक स्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थिति – श्री राजेन्द्र सिंह मण्डावरी
श्री रामजीलाल शर्मा
विद्वान अधिवक्ता वादी
प्रतिवादी संख्या 1/1 लगायत 1/8 व प्रतिवादी संख्या 3 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लायी गयी।

प्रतिवादी संख्या 02 की ओर से पैरोकार उपस्थित।

निर्णय दिनांक 14/10/2019

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) चूरू

Scanned by CamScanner

—: निर्णय :—

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से है कि वादीगण ने एक वाद विरुद्ध प्रतिवादीगण बाबत घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा चाही जिसमें वादीगण ने सिजरा खानदान अपना प्रस्तुत कर दर्ज किया कि "गोरू" के लक्ष्मण हुआ और लक्ष्मण के वादीगण है। विवादग्रस्त आराजी खतौनी संख्या 299 के आराजी खसरा नम्बर 2029/1 रकबा 3 बीघा 08 बिस्वा व खसरा नम्बर 2029/2 रकबा 3 बीघा 02 बिस्वा वाके ग्राम मौखमपुरा तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर में स्थित है जिसके वादीगण संख्या 1 लगायत 3 का 1/4, 1/4 हिस्सा एवं वादीगण संख्या 4 व 5 का 1/8, 1/8 हिस्सा अनुसार काबिज काश्त एवं खातेदार है लेकिन वर्तमान में राजस्व रिकार्ड प्रतिवादीगण के नाम दर्ज चला आ रहा है जो गलत है पूर्व में विवादित आराजी के खसरा नम्बर 2029 रकबा 6 बीघा 10 बिस्वा भूमि रही है जो वरवक्त सिवायचक आराजी थी जो वादीगण के पिता स्व0 लक्ष्मण पुत्र गौरू को दिनांक 08.11.62 को आवंटन हुयी थी। आवंटन कमेटी के द्वारा आंवटन किया गया था। नामांतकरण सन् 1856 दिनांक 05.02.1983 दर्ज किया गया। मौके पर कब्जा संभ्ला दिया गया था तब से वादीगण एवं उनके पिता काबिज रहे इसी दरमियान पटवार हल्का से साजकर प्रतिवादी संख्या 1 ने अपने नाम से आराजी खसरा नम्बर 2029/1 रकबा 3 बीघा 08 बिस्वा का अंकन जमाबंदी में दर्ज करवा लिया जब कि प्रतिवादी संख्या 1 को आवंटन नही हुआ न ही सक्षम न्यायालय के आदेश से अंकन हुआ इस गैर कानूनी अंकन के आधार पर प्रतिवादी संख्या 1 ने आराजी खसरा नम्बर 2029/1 रकबा 3 बीघा 08 बिस्वा का विकय पत्र बिना कब्जे के आधार पर प्रतिवादी संख्या 3 को कर दिया। विकय पत्र नुमायशी बनाया गया। उक्त विकय पत्र व गलत अंकन की जानकारी वादीगण को फौती नामांतकरण खुलवाने पर दिनांक 20.03.2006 को प्रथम बार हुयी। वादीगण ने प्रतिवादीगण को नाम लगवाने के लिए कहा तो साफ इंकार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया। विकय पत्र बमुकाबले वादीगण बातिल एवं बेअसर है क्योकि विकय पत्र बिना कब्जे के एवं बिना स्वामित्व के किया गया था केता व विकेता दोनो से आराजी का कोई सम्बंध सरोकार नही था विकेता को विकय करने का कोई कानूनी अधिकार नही रहा है प्रतिवादी संख्या 1 को आवंटन नही हुआ था। वाद माननीय न्यायालय को श्रवणाधिकार है। आराजी का दिनांक 10.07.2006 को विकय पत्र पंजीबद्व करवाया गया था जिससे संशोधित वाद पत्र वादीगण द्वारा प्रस्तुत किया गया था।

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) बूंद

Scanned by CamScanner

वाद कारण के साथ वादीगण ने प्रार्थना चाही है कि आराजी खसरा नम्बर 2029/1 रकबा 3 बीघा 08 बिस्वा एवं खसरा नम्बर 2029/2 रकबा 3 बीघा 02 बिस्वा वाके ग्राम मौखमपुरा जिला जयपुर राज0 का वाद पत्र के पैरा संख्या 2 के अनसुार खातेदार काश्तकार की घोषणा चाही है एवं प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद करवाना चाहा है कि वादीगण के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की दखलदांजी नही करे, न ही मजाहमत पैदा करे, न स्वयं करे न अन्य से कराये की प्रार्थना की गयी।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी की गयी। प्रतिवादी संख्या 1 की और से श्री नारायणसहाय पारीक ने वकालतनामा पेश किया, प्रतिवादी संख्या 2 स्वयं उपस्थित, प्रतिवादी संख्या 3 की ओर से श्री ताज मौहम्मद एडवोकेट उपस्थित हुये। पत्रावली में कायम मुकामान प्रार्थना–पत्र पेश किया। मृतक हनुमान के कायम मुकामान की तलबी जारी की गयी जिनकी ओर से श्री नारायण सहाय पारीक ए एडवोकेट ने वकालतनामा पेश किया। प्रार्थना पत्र आदेश 01 नियम 10 का प्रतिवादी की और से पेश हुआ बहस सुनी जाकर प्रार्थना पत्र खारिज किया गया। पत्रावली में दिनांक 30.06.2009 को प्रतिवादी संख्या 2/2 का कायम मुकाम प्रार्थना पत्र पेश हुआ जो स्वीकार किया गया वाद पत्र में संशोधित टायटल पेश हुआ। वाद पत्र में आदेश 06 नियम 17 सी पी सी का प्रार्थना पत्र वादीगण की और से पेश हुआ केता को पक्षकार कायम किया जाकर प्रार्थना पत्र दिनांक 21.02.2017 आदेश 06 नियम 17 को स्वीकार किया गया संशोधित वाद पत्र दिनांक 27.04.2017 को पेश हुआ। प्रतिवादी संख्या 1 के कायम मुकाम की और से जवाबदावा दिनांक 02.01.2006 स्वीकार किया जाकर लाल स्याही के नोट से संशोधन किया जाने के आदेश दिये गये। संशोधित वाद पत्र का जवाबदावा प्रस्तुत नही कर दिनांक 04.01.2017 को तनकीयात कायम की गयी सहमति स्वरूप हस्ताक्षर वादी संख्या 2 एवं प्रतिवादीगण नें अपने हस्ताक्षर किये। वादीगण के अधिवक्ता ने पुनः आदेश 06 नियम 17 सी पी सी का प्रार्थना पत्र पेश किया जिसका प्रतिवादीगण द्वारा जवाब प्रस्तुत नही किया बहस सुनी गयी। 1500 रूपये हर्जे पर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया गया। दिनांक 20.09.2017 को संशोधित टायटल पेश हुआ। वादी पक्ष की और से गवाह पी डब्ल्यू 1 रामेश्वर, गवाह पी डब्ल्यू 2 अर्जूनलाल, गवाह पी डब्ल्यू 3 हरिनारायण के शपथ पत्र पेश हुये। प्रतिवादीगण द्वारा जिरह आगामी पेशी पर करने की रहने पर दिनांक 19.12.2017 जिरह हेतु कायम की गयी। बार बार आवाज दिलवायी गयी लेकिन प्रतिवादीगण एवं

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) दूदू

Scanned by CamScanner

उनके अधिवक्ता जिरह के लिए उपस्थित नही हुये। तब न्यायालय द्वारा उनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही किये जाने के आदेश पत्रावली में दिये जाकर पत्रावली में एकतरफा कार्यवाही अमल में लायी गयी एवं वादी की और से प्रस्तुत दस्तावेजात प्रदर्श करवाये गये जो इस प्रकार से है– प्रदर्श 1 जमाबन्दी सम्वत 2050 से 2053, प्रदर्श 2 नामान्तरकरण संख्या 1856, प्रदर्श 3 नामान्तरकरण संख्या 1857, प्रदर्श 4 आवंटन कमेटी रिपोर्ट दिनांक 16/10/1962, प्रदर्श 5 खसरा गिरदावरी, प्रदर्श 6 जमाबन्दी सम्वत 2034 से 2037, प्रदर्श–7 खतौनी बन्दोबस्त सम्वत 2011 ल. 2029, प्रदर्श–8 नकल मिलान क्षेत्रफल आदि दस्तावेजात पेश किये गये। पत्रावली बहस वादीगण ने अधिवक्ता हेतु नियत की गयी।

विद्वान अधिवक्ता वादीगण की और से एकपक्षीय बहस सुनी गयी। विद्वान अधिवक्ता ने अपनी बहस में वाद पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये वादीगण की और से प्रस्तुत दस्तावेज व साक्ष्य का विवेचन किया गया और अपनी बहस में कथन किया गया कि आराजी खसरा नम्बर 2029 रकबा 6 बीघा 10 बिस्वा वरवक्त पर्चा सैटलमेंट सिवायचक आराजी रही है किसी की खातेदारी की आराजी नही रही है। बल्कि सम्पूर्ण आराजी को आवंटन कमेटी के द्वारा दिनांक 16.10.1962 को वादीगण के पिता स्व0 गोरू को आवंटन की गयी थी। इसके बावजूद उक्त आराजी का गैर खातेदारी का नामांतकरण दर्ज करते समय पटवारी के द्वारा आराजी खसरा नम्बर 2029 रकबा 6 बीघा 08 बिस्वा का नामांतकरण संख्या 185 दिनांक 05.02.83 को दर्ज करते हुये केवल 03 बीघा 02 बिस्वा का भरा गया जो पटवारी हल्का द्वारा बिना आदेश के भरा गया एवं नामांतकरण संख्या 1857 गैर खातेदारी से खातेदारी का नामांतकरण भी उसी दिन दिनांक 05.02.83 को भरा गया। जो पटवार हल्का की प्रतिवादीगण की मिलीभगत को दर्शाती है। वादीगण को दिनांक 08.11.62 को कोई आवंटन नही हुआ बल्कि दिनांक 16.10.1962 को आवंटन किया गया था जैसा कि आवंटन पत्रावली की सत्यप्रतिलिपि से स्पष्ट है कि स्व0 गौरू को खसरा नम्बर 2029 रकबा 6 बीघा 10 बिस्वा आवंटन हुआ था। जबकि प्रतिवादी संख्या 1 के पिता नारायण पुत्र समरथा के नाम से खसरा नम्बर 2029/2 रकबा 3 बीघा 02 बिस्वा उसकी जमाबंदी में बिना किसी सक्षम न्यायालय के आदेश से दर्ज करते हुये केवल 03 बीघा 02 बिस्वा का भरा गया एवं प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से बिना किसी आवंटन आदेश के खसरा नम्बर 2029/1 रकबा 3 बीघा 08 बिस्वा का नामान्तरकरण द्वारा अंकन कर दिया गया। इस प्रकार राज्य सरकार द्वारा आवंटित व्यक्ति को

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) बूंदी

Scanned by CamScanner

सम्पूर्ण भूमि को ही तत्कालीन पटवारी हल्का द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 एव उसके पिता नारायण दोनो को ही खसरा नम्बर 2029 की सम्पूर्ण आराजी दर्ज कर दी गयी। स्व0 नारायण की फौती पर उसकी विरासत का नामांतकरण के जरिये खसरा नम्बर 2029/2 रकबा 3 बीघा 02 बिस्वा को दर्ज कर दी गयी जिसकी स्व0 नारायण न तो पर्चा सैटलमेंट में खातेदार था एवं न ही आवंटन ही हुआ था फिर भी उसके नाम गलती से दर्ज कर दी गयी। इसी प्रकार प्रतिवादी संख्या 1 के नाम भी खसरा नम्बर 2029/1 रकबा 3 बीघा 08 बिस्वा बिना किसी आदेश के व बिना किसी आवंटन के दर्ज कर दी गयी कुल मिलाकर सम्पूर्ण आराजी प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से पटवारी हल्का ने दर्ज कर दी और जिसका नाजायज फायदा उठाते हुये स्व0 हनुमान ने उक्त आराजी में से खसरा नम्बर 2029/1 रकबा 3 बीघा 08 बिवा सहित अन्य आराजी का विकय पत्र प्रतिवादी संख्या 3 के नाम पंजीबद्व करवा दिया जो विवादित आराजी क हद तक नुमायशी विकय पत्र है।

प्रतिवादीगण ने अपने हक में दर्ज करवाया गया सम्पूर्ण इन्द्राज बिना किसी सक्षम न्यायालय के आदेश के एवं बिना किसी आवंटन प्रकिया के दर्ज करवाया गया है जो काबिले निरस्त किया जाने योग्य है जिसके लिए वादीगण ने सम्पूर्ण दस्तावेजात व साक्ष्य से साबित किया है। इस प्रकार विवादित सम्पूर्ण आराजी खसरा नम्बर 2029/1 व खसरा नम्बर 2029/2 के वादीगण मुताबिक वाद पत्र के खातेदारी प्राप्त करने के अधिकारी है बहस में वकील वादी ने जाहिर किया कि प्रतिवादीगण की और से प्रस्तुत जवाबदावा के साथ किसी प्रकार की दस्तावेजी साक्ष्य पेश नही की है प्रतिवादीगण के नाम से विवादित आराजी कैसे आयी इस सम्बंध में न तो दस्तावेज है और न ही पत्रावली में कोई साक्ष्य ही है इसलिए वादीगण का वाद डिक्री किये जाने की इस्तदुआ की गयी।

विद्वान वकील वादीगण की बहस पर एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन केया गया। समस्त तनकीयात एक दुसरे पर आधारित होने से एक साथ निर्णित केया गया हैं। यह सर्वमान्य तथ्य दस्तावेजी साक्ष्य से साबित है कि विवादित आराजी र्चा सैटलमेट में खसरा नम्बर 2029 सिवायचक आराजी रही है एवं दिनांक 16.10. 962 को स्व0 गौरू को आवंटन कमेटी ने आवंटित किया था। इसके पश्चात वरवक्त ामांतकरण में दर्ज करते समय पटवारी हल्का की अनदेखी से नामांतकरण बिना सी आदेश के प्रतिवादी संख्या 1 व उसके पिता के नाम से आराजी का जमाबंदी में कन जो किया गया है बिना किसी दस्तावेजी साक्ष्य के अंकन किया गया है और

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) बूंदी

Scanned by CamScanner

इसकी पुष्टि में वादीगण द्वारा प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड से भी वादीगण का वाद पूर्णतया साबित है वादीगण की और से प्रस्तुत मौखिक साक्ष्य के गवाहान ने भी वादीगण के वाद को पुष्ट किया है एवं वाद पत्र में दर्ज तथ्यों को दोहराया है एवं विवादित आराजी पर केता एवं विकेता का कब्जा कभी नही रहा है बल्कि वादीगण को मौके पर आवंटन से लेकर आज तक पुश्तैनी रूप से कब्जा काश्त रहा है ऐसी स्थिति में वादीगण का वाद डिकी किया जाना न्यायोचित होने से डिकी किया जाता है।

अतः वादीगण का वाद विरूद्व प्रतिवादीगण डिकी किया जाकर विवादित आराजी खसरा नम्बर 2029/1 रकबा 3 बीघा 08 बिस्वा, खसरा नम्बर 2029/2 रकबा 3 बीघा 02 बिस्वा जिसके नवीन खसरा नम्बर 289 व 290 वाके ग्राम मौखमपुरा तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर राज़0 का वादीगण संख्या 1 लगायत 3 को 1/4, 1/4, 1/4 एवं वादी संख्या 4 व 5 को 1/8, 1/8 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वादीगण के कब्जे काश्त में न स्वयं दखल करे, न अन्य से दखल करवाये, इस बाबत पाबंद किया जाता है। पर्चा डिकी जारी हो, पत्रावली वाद तकमील दफतर दाखिल की जाकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 14/10/2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
दूदू जिला जयपुर राज0।

मुद्रा

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) दूदू

Scanned by CamScanner

डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ. 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) मुकाम दूदू

श्री राजेन्द्र सिंह शेखावत R.A.S. बनाम

... पुत्र श्री लक्ष्मण बनाम हनुमान पुत्र नारायण मृतक

... निवासी बिचून तह० 1/1 श्रीमति गुलाब देवी पत्नी स्व. हनुमान

व अन्य मीणा जाति मीणा निवासी बिचून

दावा बाबत घोषणात्मक व अन्य तह० मौजमाबाद

मुकदमा नम्बर 242/2013

मुकदमा नम्बर........................सन्........................

मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू विद्वान अधिवक्ता वादी श्री राजेन्द्र सिंह मण्डावर ... लाल शर्मा व हाजिर .... मिनजानिब मुदई रूबरू .... 1/1 लगा० 1/8 व प्रति० सं. 3 के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही मिनजानिब ... 2 की ओर से पैरो० श्रु० ... होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि ... वाद विरुद्ध प्रतिवादीगण डिक्रि किया जाकर विवादित आराजी 2029/1 रकबा 3 बीघा 08 बिस्वा, ख० न० 2029/2 रकबा 3 बीघा 02 बिस्वा ... ख० न० 289 व 290 वाके ग्राम मौखमपुरा तह० मौजमाबाद जिला जयपुर ... वादीगण सं० 1 लगा० 3 को 1/4, 1/4, 1/4 एवं वादी संख्या 4 व 5 को 1/8, 1/8 खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं प्रतिवादीगण को तरिये स्थायी ... से पाबंद किया जाता है कि वादीगण के कब्जे काश्त में न स्वयं दखल करें, न ... से दखल करावे इस बाबत पाबंद किया जाता है।

(मुद्रित पंक्तियाँ, हस्तलेख के नीचे:) ... बाबत ... खर्चा इस मुकदमे के गय ... फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक .... का अदा करे।

... मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 14 माह 10 सन् 2019 ... दी गई।

दस्तखत [हस्ताक्षर]

ओहदा सहायक कलक्टर, (फास्ट ट्रैक) दूदू

(मुहर: सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) ...)

	रूपये	पैसे	मुद्दायलह	रूपये	पैसे
...वा स्टाम्प			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वजह			स्टाम्प अर्जी		
वकील खर्चा			महन्ताना वकील		
कमिश्नर बाबत			खर्चा गवाहान		
...मा मुतफरिक			फीस कमिश्नर		
			बाबत इजराय हुक्मनामा		
			मुतफरिक		
मीजान			मीजान		

... के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरिकेत का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया गया हो या नही दर्ज

Scanned by CamScanner